

प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिए)

[मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958]

स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र

भाग - क



Digitally signed by P. Jasmin Ali Sitar
Date: 2018.01.03 17:06:46 IST
Reason: Establishment Certificate
Location: Labour Department, GOMP

कार्यालय : District Labour Office, BHOPAL

(1) पंजीयन चिन्ह एवं क्रमांक : C/707376

(2) स्थापना का नाम : TOUCH & GLOW LADIES BEAUTY PARLOUR

(3) स्थापना के (डाक का) पूरा पता : PLOT NO 283 B SECTOR HIG G-2 SARVADHARM KOLAR ROAD BHOPAL

(4) स्थापना के कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप : Hair Cut Saloon & Beauty Parlor

(5) मालिक, प्रबन्धक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो :

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	SHAMMA BANO QURESHI	JALAL	46/G-2 SARVADHARAM KOLAR ROAD BHOPAL
प्रबन्धक	-	-	-
अभिकर्ता	-	-	-

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता :

स.क्र. नाम पद पता

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या :

	पुरुष	महिला	योग
प्रांढ़	0	3	3
युवा			0
योग	0	3	3

पंजीयन शुल्क: Rs.150

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र., सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 03/01/2018 को पंजीयन की गई है।

निरीक्षक

दुकान एवं स्थापना

अधिनियम 1958 के अंतर्गत

भाग-ख

नियम 5 के अंतर्गत वार्षिक नवकरण

क्रमांक.....

दिनांक: 03/01/2018

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पंजीयन का प्रमाण पत्र 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया।

निरीक्षक

महत्वपूर्ण सूचना: यह प्रमाण पत्र स्थापना का पंजीयन भाग है जो केवल आपके द्वारा अपलोड किये गए दस्तावेजों एवं जानकारी के अवलोकन के आधार पर जारी किया गया है। इस हेतु किसी भी तरह का भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण नहीं किया गया है। यदि इन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक लोन, स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद, न्यायालय में जमानत, GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सशम प्राधिकारी से चूक से अनुमति प्राप्त करना होगी। दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षरित हैं अतः मैन्युअल हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।